an>

Title: Need to provide adequate compensation to farmers of Siddharthnagar district, Uttar Pradesh whose land has been acquired for Indo-Nepal Border Road Project as per the norms of Land Acquistion, Rehabilitation and Resettlement Act 2013.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) ः उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा इण्डो-नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना में किसानों की भूमि क्रय करने की दरों में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ग्रामीण किसानों की भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट का तीन गुना एवं शहरी क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट का डेढ़ गुना की दर से क्रय की गई है। जबकि उ.प्र. सरकार ने एल.ए.एक्ट-2013 (भूमि अधिग्रहण नियम-2013) को स्वीकार करते हुए 1 जनवरी, 2014 को लागू कर दिया, जिनके अंतर्गत ग्रामीण काश्तकारों को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान सर्किल रेट या बाजार दर, में जो अधिक हो, का चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुना की दर से भूमि क्रय का दिशा-निर्देश दिया गया है। उ.प्र. में जनपद सिद्धार्थनगर के इण्डो-नेपाल बॉर्डर प्रोजेक्ट में कुछ भूमि का क्रय 2014 में एवं कुछ भूमि का क्रय 2016 में पुराने सर्किल रेट से किया गया, उसके बाद जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा पुराने सर्किल रेट से बनाये गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों का काफी नुकसान हुआ है जिसके कारण जनता में काफी आक्रोश है।

अतः भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले पर तुरंत कार्यवाही की जाए।